

सं0सं0-म0नि0 IV/लेखा/342/2024-25/..... 24 (आ0)

मत्स्य निदेशालय
झारखण्ड, राँची

प्रेषक,

एच0 एन0 द्विवेदी,
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
गिरिडीह एवं बोकारो।

मत्स्य/राँची/दिनांक..... 28.03.2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में माँग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष-01-मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना (स्थापना व्यय) अंतर्गत कुल मो0 25,000.00 (पच्चीस हजार) रुपये मात्र के निधि का अतिरिक्त आवंटन।

प्रसंग : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का आवंटन आदेश सं0 02 आ0 (वि0) दिनांक 03.04.2024, ऑनलाईन आवंटन सं0 122 एवं मत्स्य निदेशालय आवंटन सं0 01(आ0) दिनांक 03.04.2024, आवंटन सं0 07(आ0) दिनांक 18.09.2024, आवंटन सं0 13 (आ0) दिनांक 16.01.2025 तथा 18 (आ0) दिनांक 12.03.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु माँग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष-01-मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना (स्थापना व्यय) अंतर्गत कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का आवंटन आदेश सं0 02 आ0 (वि0) दिनांक 03.04.2024 के आलोक में 25,000.00 (पच्चीस हजार) रुपये मात्र निम्न विवरणी अनुरूप निधि का अतिरिक्त आवंटन किया जाता है।

क्र0	स्थापना का नाम	वेतन	कुल आवंटन
विपत्र कोड		53S24050000101000101	
1	2	3	4
1	जि0 म0 पदा0-सह-मु0 कार्य0 पदा0, गिरिडीह	20000	20000
2	जि0 म0 पदा0-सह-मु0 कार्य0 पदा0, बोकारो	5000	5000
कुल आवंटन		25000	25000

मो0 पच्चीस हजार रु0 मात्र।

2. इस आवंटन के विरुद्ध वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दिनांक 17/04/98, वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि०, दिनांक 15/07/03 में निहित प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जायेगी।

3. (क) वित्त विभाग के पत्रांक 23/बी०टी०ई०-11/2023-24/257/बजट/दिनांक 21.03.2024 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटन व्यय की स्वीकृति प्राप्त है।

(ख) झारखण्ड कोषागार संहिता के नियमों का अनुपालन सख्ती से किया जाय।

4. आबंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक अगले माह के 15 तारीख तक टी०भी०नं० एवं तिथि के साथ टेजरी एम०आई०एस० से अवश्य मिलान (रिकान्सीलेशन) करा लिया जाए।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर विपत्र कोड एवं मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की मुहर स्पष्ट रूप से अंकित हो, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके एवं मिलान करने में दिक्कत न हो। वर्ष 2024-25 के प्रत्येक महिने का नियमित लेखा मिलान कर त्रुटि निराकरण करना सम्बन्धित DDO का दायित्व होगा।

6. असमायोजित अग्रिम, एल०पी०सी०/कार्यालय से हो तो उसका ससमय स्थापित प्रक्रिया के तहत नियमित समायोजन होना चाहिए।

7. आबंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 475 में किये गये निदेश के आलोक में किया जाय। इसके साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय।

8. (क) सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मियों के दावों का नियमानुसार निष्पादन समयबद्ध हो ताकि न्यायालय/दण्डात्मक शुल्क नहीं देना हो अन्यथा इसकी वसूली दोषी कर्मियों से होगी।

(ख) सभी कार्यरत कर्मियों के सेवापुस्त का सत्यापन कर, अवकाश लेखा/अन्य प्रविष्टि अद्यतन करें तथा उनका हस्ताक्षर भी प्राप्त करें।

9. सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जाए। अंकेक्षण के दौरान प्राप्त अंकेक्षण आपत्तियों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए उसे Drop कराया जाए, साथ ही साथ प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में इस मद के व्यय में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति हो तो उसका निराकरण करा लिया गया है।

अनु०-ऑनलाईन आवंटन

विश्वासभाजन

28/3/25
(एच० एन० द्विवेदी)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची.

सं०सं०-म०नि० IV/लेखा/342/2024-25/

24 (अ०)

/मत्स्य/राँची/दिनांक

28.03.2025

प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपायुक्त/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, (बजट) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) झारखण्ड, राँची/उप मत्स्य निदेशक (सभी), मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/3/25

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची.



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Fishery Divisio

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - IV/342/24-25/5t/24

दिनांक - 28-Mar-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 53 24050000101000101 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	106022	GRDFSH001 MD. MUJAHID ANSARI DIST.FISHERIES OFFICER GIRIDIH 01 - वेतन	20,000.00 रुपये बीस हजार
2	S 53 24050000101000101 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 001 - निदेशन तथा प्रशासन 01 - मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	106024	BKRFSH001 PERISETTI BHARGAVI DIST.FISHRY OFFICE BKR 01 - वेतन	5,000.00 रुपये पाँच हजार

योग: रुपये पच्चीस हजार

25,000.00

क्रमिक योग:

(H. N. DWIVEDI)

DIRECTOR FISHERIES

वर्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित राशि की विवरणी :-

मॉग सं० - 53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-2405 - मछली-पालन & 001 - निदेशन तथा प्रशासन & 01 - मत्स्य विकास एवं अनुसंधान योजना

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	53S24050000101000101	Total
1	2	3	4	5	वेतन	7
1	Giridih	GRDFSH001	Md. Mujahid Ansari	Dist. Fisheries Officer Giridih	₹20,000.00 (106022)	₹20,000.00
2	Bokaro	BKRFSH001	Perisetti Bhargavi	Dist. Fishry Officer Bkr	₹5,000.00 (106024)	₹5,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹25,000.00 (iPhl gtkj) रूपये मात्र ।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए

24(आ०)
28/3/2025

(H. N. DWIVEDI)
DIRECTOR FISHERIES